अनुलग्नक : 1

कंपनियों/निकायों के विनियामक

वित्तीय कंपनियां विभिन्न विनियामकों द्वारा विनियमित की जाती है

- निधि (म्यूचुअल बेनिफिट फंड्स) – कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) या आरओसी
- विविध गैर- बैंकिंग कंपनियां जैसे एनएमबीसी (चिट फ़ंड) – राज्य सरकार
- एचएफसी (गृह वित्त कंपनियां) – एनएचबी - राष्ट्रीय आवास बैंक
- बीमा कंपनियां – आईआरडीए (इरडा) – बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
- ब्रोकिंग कंपनियां - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
- व्यापारी (मर्चेन्ट) बैंकर्स – भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – भारतीय रिज़र्व बैंक

किसी भी निकाय के पंजीकरण की स्थिति की जांच कैसे करें

- यह जाँचने के लिए कि निकाय कंपनी है या नहीं कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की वेब साइट पर जाएँ ।
- एमसीए की वेबसाइट है www.mca.gov.in
- इस लिंक का प्रयोग करें: एम सी ए सर्विसेस – कंपनी का नाम देखें ।
- कंपनी की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए (जैसे निदेशकों के नाम, पंजीकृत पता, निगमन के तारीख आदि) एमसीए सर्विसेस लिंक पर जाएँ – कंपनी या एलएलपी मास्टर डाटा देखें ।

वित्तीय गतिविधियों में लगी फर्जी निकायों की जांच

- **यदि कंपनी** (अर्थात गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनी)
  - वित्तीय अथवा गैर वित्तीय कोड के अंतर्गत कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है
  - वित्तीय गतिविधियों में कार्यरत है तो – तुलन पत्र
  - मेमोरंड्म ऑफ एसोसिएशन (MoA) और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (AoA) की मांग करें
- **अनिगमित निकाय - (UIBs)**
  - गैर पंजीकृत UIBs – जिसका MoA या AoA नहीं है
  - और स्वयं को कंपनी बुलाते है – यह सही नहीं है
  - वित्तीय गतिविधियों में लगे हुए -
  - हिन्दू अविभाजित परिवार, स्वामित्व फर्म, भागीदारी फर्म, क्लब, व्यक्ति

अनिगमित निकाय (UIBs) क्या हैं ?

- व्यक्ति
- फर्म
- व्यक्तियों के अनिगमित समूह (एसोसिएशन)
- ट्रस्ट
- अविभक्त हिन्दू परिवार
- क्लब आदि
- कोई भी निकाय जो निगमित नहीं हैं

गैर बैंकिंग गैर वित्तीय कंपनी (NBNFCs)/अनिगमित निकाय (UIB) द्वारा की जानेवाली अनैतिक/अवैध वित्तीय गतिविधियां

एनबी-एनएफसी और यूआईबी की गतिविधियाँ

- जमा स्वीकार करना
- धन संचलन-

i) पोंझी योजना

ii) पिरामिड योजना (बिना उत्पाद का मल्टी लेवल मार्केटिंग व्यवसाय)

- कार रेंटल
- टाइम शेयरिंग व्यवसाय (होटल, रिसोर्ट आदि)
- ज़मीन जायदाद का कारोबार
- ऋण देना जिसमें मनी लेंडर्स शामिल है
- पंजीकरण के बिना विदेशी मुद्रा का लेनदेन
- कृषि/पशुपालन गतिविधियां

जनता से धन जुटाने के विभिन्न तरीके तथा उनका विनियमन करनेवाली संस्था

1	फर्जी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमा एकत्रित करना	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा
2	प्राईज़ चिट/धन संचलन/मल्टी लेवल मार्केटिंग योजनाएँ	पीसीएमसीबी अधिनियम, 1978 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा
3	चिट फंड अधिनियम के अंतर्गत चिट व्यवसाय	चिट फंड अधिनियम, 1982 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा
4	सहकारी समितियों द्वारा स्वीकार की जानेवाली जमाराशि	सहकारी समितियां अधिनियम, 1992 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा
5	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, माइक्रो फाइनेन्स कंपनी द्वारा जमा की गई धनराशि	भारतीय रिज़र्व बैंक
6	डीम्ड जमाराशि सहित कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जमाराशि	कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए)
7	निधि या म्यूचुअल बेनीफिट सोसाइटी	कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए)
8	म्यूचुअल फ़ंड, सीआईएस, एआईएफ, पीएमएस, पब्लिक इशू या प्रतिभूतियों का डीम्ड पब्लिक इशू	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
9	मल्टी स्टेट सहकारी समितियां	सीआरसीएस (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार)
10	बीमा करार	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्या है ?

- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (अब कंपनी अधिनियम, 2013) के अंतर्गत निगमित है और जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 आई ए के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है; जिससे यह अनिवार्यता होती है कि एनबीएफसी, धारा 45 । की उप-धारा (ए) के तहत परिभाषित एनबीएफआई व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकरण करवाए। और जो
- प्राथमिक रूप से निम्न व्यवसाय में संलग्न हो
  - ऋण और अग्रिम,
  - शेयर/स्टॉक/बॉन्ड/ डिबेंचर/सिक्युरिटीज का अर्जन
  - लीज़िंग, हायर परचेस
  - <u>किन्तु ऐसी किसी संस्था को शामिल न करती हो जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि संबंधी कार्य, औद्योगिक कार्य, विक्रय/खरीद/अचल संपत्ति का निर्माण है ।</u>

प्रमुख व्यवसाय मापदंड

- एनबीएफसी बनने के लिए – आर बी आई प्रेस विज्ञप्ति 8-4-1999
  - वित्तीय आस्तियां कुल आस्तियों के 50% से कम नहीं होनी चाहिए
  - वित्तीय आय कुल आय के 50% से कम नहीं होनी चाहिए
  - रुपए 200 लाख की स्वयं की शुद्ध निधि (NOF) होनी चाहिए (पूर्व में यह केवल रुपए 25 लाख थी)

- यदि कंपनी उयर्युक्त मानदंडों को पूरा करती है तो उसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कार्य जारी रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीयन प्रमाणपत्र (CoR) प्राप्त करना होगा।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के प्रकार

देयताएँ - संसाधन जुटाने के आधार पर

- जमा संग्रह करनेवाली (NBFC-D) - ए श्रेणी
- जमा संग्रह न करनेवाली (NBFC-ND) - बी श्रेणी

आस्तियों के आधार पर – निधियों का अभिनियोजन

- ऋण कंपनियां
- निवेश कंपनियां
- असेट फाइनेंस कंपनियां
- कोर निवेश कंपनियां
- इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां
- माइक्रो फ़ाइनेंस संस्थाएं/कंपनियां (एनबीएफ़सी-एमएफ़आई)
- समकक्षीय उधार देने वाली कंपनियां

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के प्रकार (contd.)

- माइक्रो फाइनेंस इंस्टिट्यूशंस :- एनबीएफसी-एमएफआई की परिभाषा है – ऐसा इंस्टीट्यूट जो जमा न लेनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है (उस कंपनी के अलावा जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है) और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में 1,00,000 रुपए से कम तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में 1,60,000 रुपए से कम वार्षिक आय वर्ग के लोगों को छोटे ऋण निम्नलिखित शर्तों पर देती है :
  - पहले चक्र में ऋण की राशि 60,000रुपए से और बाद के चक्र में 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए
  - उधारकर्ता की कुल उधारी 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए
  - ऋण बिना किसी समपार्श्विक (Collateral) के दिया जाना चाहिए
  - ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार प्रभारित किया जाना चाहिए

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के प्रकार (contd.)

स्वर्ण ऋण कंपनियां

- स्वर्ण ऋण के क्षेत्र में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विवेक सम्मत मानदंड निर्धारित किए हैं जिसके अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, स्वर्ण आभूषणों को गिरवी रखकर दिये गए ऋणों का मूल्य से अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए और अपने तुलन पत्र (balance sheet) में कुल आस्तियों में ऐसे ऋणों के प्रतिशत का खुलासा भी किया जाना चाहिए ।
- एलटीवी अनुपात की गणना करते समय संपार्श्विक के रूप में स्वीकृत सोने का मानकीकरण करना चाहिए
- सोने के स्वामित्व के सत्यापन के मानदंड होने चाहिए और
- स्वर्ण के संपार्श्विक आधार पर ऋण देनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा।

कंपनी : पुलिस द्वारा की जानेवाली कार्रवाई

कंपनी द्वारा अवैध रूप से जमा स्वीकार करने/जमाराशि वापस करने में चूक की स्थिति में :

1. सत्यापन के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण एकत्रित करें तथा कंपनी की वित्तीय स्थिति जानने के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक की सहायता लें।
2. **यदि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है** तो मामला गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत तथा जिलाधीश (सक्षम प्राधिकारी) को एमपी-पीआईडी एक्ट के तहत आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें ।
3. **यदि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं है** तो मामला कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय/कंपनी रजिस्ट्रार को कंपनी अधिनियम तथा जिलाधीश (सक्षम प्राधिकारी) को एमपी - पीआईडी एक्ट के तहत आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

अनिगमित निकाय - पुलिस द्वारा की जानेवाली कार्रवाइँ

अनिगमित निकाय द्वारा गैर कानूनी तरीके से जमाराशि स्वीकार करना

1. राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 58B (5A&5B) के साथ पठित धारा 58E (1) के अंतर्गत तथा एमपी - पीआईडी एक्ट के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करे ।
2. प्रा. लिमिटेड, बैंक, ट्रस्ट आदि शब्दों का उपयोग करनेवाली अनिगमित निकायों की चालाकियों को समझें ।
3. अनिगमित निकायों के मामले में राज्य सरकार के अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के समान है।

वित्तीय जांच
एकत्रित किए जानेवाले दस्तावेज

- निदेशकों/भागीदारों/व्यक्तियों के नाम, पते, निकाय के व्यवसाय से कब से सम्बद्ध है, भागीदारी की सीमा, शेयर, पेन, बैंक खाता, आस्तियों का विवरण आदि
- दुकानों और प्रतिष्ठानों आदि से संबंधित राज्य के कानूनों के तहत प्राप्त लाइसेंस।
- जमा राशि रसीदों की ऑफिस काउंटर फोइल, जमाराशियों के संबंध में अनुरक्षित पुस्तकें और रजिस्टर

वित्तीय जांच
एकत्रित किए जानेवाले दस्तावेज

Contd

- जमा के पुनर्भुगतान के संबंध में सबूत, यदि कोई हो।
- दिये गए ऋण, शेयर और अन्य सिक्योरिटी में किए गए निवेश, ऋण करार, प्रोमिसरी नोट्स, बंधक पत्र से संबन्धित किताबें और रजिस्टर
- जनता से जमा राशि आमंत्रित करते हुए विज्ञापन की प्रतिलिपि और समाचार पत्र के कार्यालय से स्रोत का सत्यापन

सबन्धित विनियामक के साथ कंपनियों/निकायों की पंजीयन स्थिति की जानकारी के लिए

लॉग ऑन करें: www.sachet.rbi.org.in

- भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, एनएचबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए, सीआरसीएस के साथ पंजीकृत और विनियमित सभी निकायों की सूची एक ही स्थान पर उपलब्ध है और इसका नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।
- कानून और नियम जिसके तहत कंपनियों/संस्थाओं को विनियमित किया जाता है
- विनियामकों का विवरण